**न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पोकरण (राज0)**

**पीठासीन अधिकारी –** **दलपतसिंह राजपुरोहित**
**(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

**दाण्डिक निगरानी संख्या–** **17/2022**

चुतरसिंह पुत्र श्री चैनसिंह जाति राजपूत निवासी अजासर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

...निगरानीकर्ता

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक।

....गैरनिगरानीकर्ता

**निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 397/401 दण्ड प्रक्रिया संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 12.08.2022 द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध होकर।**

**उपस्थित :–**

1–श्री इन्द्रजीतसिंह, विद्वान अधिवक्ता,–वास्ते निगरानीकर्ता।

2–विद्वान अपर लोक अभियोजक–वास्ते राज्य।

**–:आदेश:–** **दिनांक–02.09.2022**

1– निगरानीकर्ता चुतरसिंह द्वारा अप्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक के विरूद्ध यह निगरानी अन्तर्गत धारा 397/401 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दिनांक 17.08.2022 को प्रस्तुत की गई।

2– निगरानीकर्ता द्वारा इस निगरानी के जरिये न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2022 को चुनौती दी है जिस आदेश के द्वारा योग्य अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा दर्ज करने हेतु नहीं भिजवाकर न्यायालय के समक्ष ही परिवाद दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश देकर वास्ते जांच रखने का आदेश दिया।

3– निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी मुख्य रूप से इन आधारों पर प्रस्तुत की गई कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2022 में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों साक्ष्यों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्ता के विरूद्ध पारित अपेक्षित आदेश मनमाना विकृत एवं परवंश होने के कारण काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण को जांच हेतु धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में रखने से पूर्ण अनुसंधान होना

संभव नहीं है इसलिए प्रकरण को जांच हेतु धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में पुलिस थाना नाचना में भेजा जाना अत्यन्त आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नियम प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध है जिसको निरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता के द्वारा पेश दस्तावेज तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध घटित होने के तथ्य पाये जाते है तथा इस संबंध में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने परिवाद को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भिजवाने से इन्कार किया। ऐसा भी आदेश पारित नहीं किया है बल्कि केवल परिवाद दर्ज रजिस्टर कर वास्ते बयान 200 सी.आर.पी.सी. के तहत नियत कर दिया है जो आदेश देखने से ही अशुद्ध एवं अवैध पाया जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में भी कई अन्य प्रकरण में संज्ञेय अपराधों में धारा 200 सी.आर.पी.सी के बयान लिए बिना धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में पुलिस थाना को परिवाद भेजकर मुकदमा दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। अतः प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2022 को अपास्त किया जावे और धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना नाचना में मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश फरमावे।

4— बहस निगरानी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5— योग्य अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मनमाना व साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुसंधान पूर्ण होना संभव नहीं है इसलिए परिवाद को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना को भेजा जाना आवश्यक है। परिवाद के आधार पर संज्ञेय अपराध घटित होने के तथ्य पाये जाते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने परिवाद को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भिजवाने से इंकार कर अवैधता कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त कर परिवाद धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भिजवाकर मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :—

(i) Criminal Appeal No 1184 of 2022
xyz Vs State of Madhya Pradesh & Ors

(ii) Sakhi Mohammed Vs State of Rajasthan
S.B.Criminal Misc(Pet.) No. 2386/2018

6— वहीं योग्य अपर लोक अभियोजक के तर्क रहे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि अनुसार है, निगरानी आधारहीन है, अस्वीकार कर खारिज की जावे।

7— उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया।

8— निगरानी न्यायालय को धारा 397 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत यह शक्तियां प्राप्त हैं कि वह अपनी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर स्थित किसी अवर दण्ड न्यायालय के समक्ष की कि किसी कार्यवाही के किसी अभिलेख को या पारित किये गये किसी निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में या कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से अभिलेख मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है। उक्त प्रावधान के अनुसार इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2022 की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में समाधान करना है, इस संबंध में उल्लेखनीय हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर उक्त निगरानाधीन आदेश पारित किया गया है जो आदेश न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत पारित हुआ है। अतः उक्त आदेश के औचित्य के संबंध में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती।

9— जहॉ तक आदेश की शुद्धता व वैधता का प्रश्न हैं तो धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत यह प्रावधान हैं कि धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट संज्ञेय मामले में अन्वेषण करने का आदेश कर सकता है। वहीं धारा 190 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान हैं कि कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है :—

(क)— उन तथ्यों का जिनसे ऐसे अपराध बनता है, परिवाद प्राप्त होने पर,

(ख)— ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर,

(ग)— किसी व्यक्ति की ईत्तला या स्वयं अपनी जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है।

10— उपरोक्त धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार यदि परिवाद से संज्ञेय मामला घटित होने के तथ्य प्रकट होते हैं तो उक्त परिवाद को अनुसंधान के लिए संबंधित थानाधिकारी को भेजे जाने का प्रावधान है। योग्य अधिक्ता निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त दोनों न्यायिक दृष्टान्तों में यह धारित किया गया है कि जहॉ परिवाद से संज्ञेय मामला बनने के तथ्य प्रकट होते हो वहां मजिस्ट्रेट को उक्त परिवाद धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रकरण दर्ज

करने हेतु थाने पर भेजा जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार न्यायिक विवेकाधिकार होता है न कि मनमाना।

11— उल्लेखनीय हैं कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी की ओर से जो परिवाद योग्य अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उक्त परिवाद में तहसीलदार नाचना के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने तथा तहसीलदार नाचना द्वारा पैमाईश को रोकने का आदेश करने के बावजूद देवकरणसिंह पटवारी द्वारा अपना स्थानान्तरण होने के बावजूद भी भूमि पर पहुंचकर सीमाज्ञान चालू कर देने के तथ्य हैं। उक्त तथ्यों से कोई संज्ञेय अपराध घटित होने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होते है। ऐसी स्थिति में हमारे सुविचारित मत में योग्य विचारण न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद को धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जॉच हेतु नियत करने में कोई अशुद्धता या अवैधता कारित नहीं की गई है।

12— परिणामस्वरूप निगरानीकर्ता चुतरसिंह पुत्र श्री चैनसिंह जाति राजपूत निवासी अजासर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर की ओर से गैर निगरानीकर्ता राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक के विरूद्ध प्रस्तुत यह निगरानी अस्वीकार किये जाने योग्य होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

इस आदेश की सत्यप्रति सहित विचारण न्यायालय की तलबीदा पत्रावली अविलम्ब लौटायी जावे।

(दलपतसिंह राजपुरोहित)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
पोकरण (राजस्थान)

13— आदेश आज **दिनांक 02.09.2022** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दलपतसिंह राजपुरोहित)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
पोकरण (राजस्थान)